

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद

संख्या...57.....

वर्ष 20.23.....

विविधवाद/ प्रथम अपील

बनाम

अपीलकर्ता श्री बलबीर मुण्डा,
पिता-श्री सोमू मुण्डा,
ग्राम-रमटा, पंचायत-सिलाईन
डॉक्टर-तारे, थाना-रितला-खुर्दा ।
प्रतिवादी DSO खुर्दा ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की
तिथि


हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति


झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
कैम्प कार्यालय, खूँटी।
वाद सं०-57/2023

आज दिनांक-04.10.2023 को खूँटी परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता, श्री बलबीर मुण्डा, पिता-श्री सोमु मुण्डा, ग्राम-रेमटा, पंचायत-सिलादोन, डाकघर-तारो, थाना-जिला-खूँटी द्वारा शिकायत-पत्र समर्पित किया गया।

श्री बलबीर मुण्डा का कहना है कि उन्हें माह सितम्बर, 2023 का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जनसुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को अवगत कराया कि डीलर के पास अवशेष होने कारण अवशेष को काट कर खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि डीलर द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें आवंटन कम मिला है, इसलिये वो खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा सकते। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि डीलर श्री सिरका मुण्डा के पास जितने भी लाभुक हैं, उन सभी को जितने अवधि का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, उतने अवधि का राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधान के तहत सवा गुणा अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं दिनांक-31.10.2023 तक ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण आयोग में समर्पित करें। साथ ही उक्त कार्रवाई की वीडियोग्राफी करा कर आयोग को भेजें। दिनांक-31.10.2023 को रखें।


(शबनम परवीन)

सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।


(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।